# न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

पी0डी0एस0 अपील संख्या-01/2019-2020

बुलकी देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पति-नीरस राम
ग्राम पंचायत बीरनगर पूरब, प्रखंड-भरगामा,
जिला-अररिया ..........................................................................................अपीलकर्त्ता

बनाम

बिहार राज्य ..........................................................................................विपक्षी

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित) |
|---|---|---|
| 05.02.2021 | जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या-50BH/2016 को रद्द किये जाने संबंधी विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के आदेश दिनांक 09.03.2019 (ज्ञापांक 125/आ0 दिनांक 18.03.2019) के विरूद्ध बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)आदेश, 2016 की कंडिका-32 के अंतर्गत यह अपील आवेदन दाखिल किया गया है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03.10.2019 के द्वारा अपीलकर्त्ता के उम्र के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 1012/जि0आ0, दिनांक 12.10.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जन वितरण अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु 58 वर्ष के आयु के भीतर होने पर ही उनके आश्रित के अनुकम्पा के आधार पर नई अनुज्ञप्ति मान्य होगी। जन वितरण प्रणाली विक्रेता सरकारी सेवक नहीं होने के कारण सेवा निवृत्ति की तिथि निर्धारित नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के पत्रांक 396, दिनांक 23.10.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पैन कार्ड एवं आधार कार्ड में बुलकी देवी, पति-नीरस राम की जन्म तिथि 01.01.1972 अंकित है, तदनुसार 01.10.2019 को बुलकी देवी का उम्र-47 वर्ष 09 माह होता है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.10.2019 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के पत्रांक 402/आ0, दिनांक 28.10.2019 के द्वारा बुलकी देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या-50BH/2016 को रद्द किये जाने संबंधी अभिलेख प्राप्त है।<br>(2) अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, आवश्यक वस्तु अधिनियम, अररिया को सुना। अपील आवेदन दिनांक 16.04.2019, निम्न न्यायालय अभिलेख एवं अभिलेख के साथ संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया।<br>(3) बुलकी देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या-50BH/2016 को रद्द किये जाने संबंधी अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के अभिलेख के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते है-<br>(i) ग्रामीण जनता, सा0-बीरनगर पुरब, तकिया टोला, बैजूपट्टी, वार्ड सं0-2,4 एवं 5, प्रखंड-भरगामा, जिला-अररिया की ओर से जन वितरण प्रणाली के दुकानदार बुलकी देवी, पति-निरस राम पंचायत बीरनगर पूरब, प्रखंड-भरगामा के विरूद्ध ससमय राशन/किराशन तेल का वितरण नहीं करने संबंधी शिकायत आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज को समर्पित किया गया।<br>(ii) अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के पत्रांक 960, दिनांक 12.11.2018 के द्वारा उक्त शिकायत आवेदन के क्रम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भरगामा से जाँच प्रतिवेदन की | |

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित) |
| --- | --- | --- |
| 05.02.2021 | मांग की गई। | |

(iii) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भरगामा के पत्रांक 100, दिनांक 01.12.2018 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

(iV) उक्त प्रतिवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज का कर्णांकित आदेश दिनांक 04.12.2018 का अवतरण निम्नलिखित है-

"दुकान खोलकर पंजियों की जाँच कर प्रतिवेदन में उनका भी उल्लेख करें।"

(V) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भरगामा के उक्त प्रतिवेदन (पत्रांक 100, दिनांक 01.12.2018) के आलोक में निम्नलिखित अनियमितताएँ के संबंध में ज्ञापांक 388/आ0, दिनांक 28.12.2018 के द्वारा श्रीमती बुलकी देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत बीरनगर पूरब, प्रखंड-भरगामा से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

<u>अनियमितताएँ</u>

1. दिनांक 01.12.2018 को 11.15 बजे पूर्वाह्न को आपकी दूकान बंद पायी गयी।

2. वार्ड नं0-02, 04 एवं 05 के सम्बद्ध कार्डधारियों द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रतिमाह राशन/किरासन नहीं मिलता है।

3. राशन कार्ड पर बिना राशन दिए राशन मात्रा की प्रविष्टि किए जाने की शिकायत प्राप्त हुइ।

4. नवम्बर का राशन आपके द्वारा दिनांक 12.11.2018 को उठाव किया गया। किन्तु इस तिथि के पूर्व ही कार्डधारियों के कार्डो में नवम्बर माह के राशन की मात्रा की प्रवष्टि कर दी गई। अर्थात् उठाव के पूर्व ही वितरण दिखा दिया गया।

(vi). बुलकी देवी द्वारा दिनांक (अंकित नहीं) को अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज को स्पष्टीकरण जवाब समर्पित किया गया।

(vii). श्रीमती बुलकी देवी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण जवाब को संतोषजनक नहीं पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के ज्ञापांक 100/आ0, दिनांक 28.02.2019 के द्वारा उक्त अनियमितताएँ के सम्बन्ध में द्वितीय स्पष्टीकरण की मांग की गई।

(viii). श्रीमती बुलकी देवी द्वारा दिनांक 07.03.2019 को अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के समक्ष द्वितीय स्पष्टीकरण जवाब दाखिल किया गया।

(iX). बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन निर्गत अनुज्ञा पत्र के शर्त्तो के स्पष्ट उल्लंघन के आरोप में जन वितरण प्रणाली विक्रेता बुलकी देवी पंचायत बीरनगर पूरब, प्रखंड-भरगामा अनुज्ञप्ति सं0-50BH/2016 की अनुज्ञप्ति को अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के आदेश दिनांक 09.03.2019 के द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

(4) अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि अपीलकर्त्ता पर लगाये गये सारे आरोप मनगढ़ंत एवं गलत है। अपीलकर्त्ता पर लगाये गये आरोपों के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा बिंदुवार जवाब अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज को समर्पित किया गया।

| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित) |
|---|---|---|
| 05.02.2021 | अनुज्ञापन पदाधिकारी, फारबिसगंज ने अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर दिये बगैर तथा कारण-पृच्छा जवाब पर ध्यान दिये बगैर अपीलकर्त्ता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जो अवैध एवं गलत है। अपीलकर्त्ता के विरूद्ध कुछ ग्रामीण आपसी विद्वेषवश अपीलकर्त्ता के विरूद्ध गलत आरोप लगाते हुए आवेदन दिया था। वास्तविकता यह है कि अपीलकर्त्ता अनुसूचित जाति की एक गरीब महिला है। सरकारी योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के महिला की सामाजिक/आर्थिक उत्थान के मद्देनजर अपीलकर्त्ता को यह अनुज्ञप्ति प्राप्त है। अपीलकर्त्ता जन वितरण प्रणाली विक्रेता के कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को विधिवत् निर्वहन करते आ रही है। अपीलकर्त्ता निर्दोष है, उनकी प्रार्थना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के आदेश दिनांक-09.03.2019 को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता की अनुज्ञप्ति संख्या-50BH/2016 को पुनर्बहाल करने का आदेश दिया जाय।<br><br>(5) बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, आवश्यक वस्तु अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि अपीलकर्त्ता पर लगाये गये सारे आरोप गंभीर प्रकृति का है एवं सही है। अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिया गया है। अपीलकर्त्ता से द्वितीय कारण-पृच्छा जवाब प्राप्त होने के बाद अनुज्ञापन पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो नियमानुकूल है। अनुज्ञापन पदाधिकारी, फारबिसगंज के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार नहीं है। यह अपील आधारहीन है तथा अस्वीकृत होने योग्य है। उनकी प्रार्थना है कि इस अपील को अस्वीकृत किया जाय।<br><br>(6) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों एवं तर्को तथा उक्त विवेचन पर सम्यक् विचारोपरान्त इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि अपीलकर्त्ता पर लगाये गये आरोप सही एवं प्रमाणित है। अपीलकर्त्ता द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति के शर्त्तो का उल्लंघन किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा सुविचारित एवं मुखर आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई वैधानिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपील आवेदन दिनांक-16.04.2019 में वर्णित आधार में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिसके आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के उक्त आदेश दिनांक-09.03.2019 में हस्तक्षेप किया जा सके। अपील आवेदन दिनांक-16.04.2019 आधारहीन है तथा अस्वीकृत होने योग्य है। तदनुसार इस अपील आवेदन दिनांक-16.04.2019 को अस्वीकृत किया जाता है तथा इस अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।<br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>समाहर्त्ता, अररिया<br><br>समाहर्त्ता, अररिया | |

पी0डी0एस0 अपील संख्या-01/2019-2020

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित) |
|---|---|---|
| | ज्ञापांक 493 /विधि, अररिया, दिनांक 12 / 02 /2021<br><br>प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज को उनके पत्रांक-402/आ0, दिनांक 28.10.2019 के क्रम में पी0डी0एस0 अपील संख्या-01/2019-2020 बुलकी देवी बनाम बिहार राज्य से संबंधित मूल निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।<br><br>अनुलग्कन : यथोक्त।<br><br>प्रभारी पदाधिकारी,<br>जिला विधि प्रशाखा,<br>अररिया | |